

# मध्यप्रदेश विधान सभा

292

नवम्बर-दिसम्बर, 1996 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 1996 (अग्रहायण 18, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कृत वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सत्यदेव कटारे, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री :-

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की 20वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1993-94, तथा

(ख) वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भंडारगृह निगम का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिस्सा पत्रक वर्ष 1995-96,

पटल पर रखेंगे।

(2) श्री अशोक राव, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95 पटल पर रखेंगे।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, बच्चन नायक, सदस्य, सागर जिले में छानबीला थाना प्रभारी व एक आरक्षक की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री अरुण बोरा, सदस्य, दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी पर बने पुल की हालत अर्जर होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. वर्ष 1996-97 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1996-97 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

### 5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री माधव सिंह धुव, राज्यमंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक 25 सन् 1996) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

### 6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में अल्प वर्षों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, रामलखन सिंह (त्यौथर), गौरीशंकर बिसेन, डॉ. दाल सिंह बिसेन, बनवारीलाल अग्रवाल, लक्ष्मीकान्त शर्मा, रमेश शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, जयकरण साकेत तथा रामलखन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठावेंगे।

निर्धारित  
समय  
1 घण्टा  
30 मि.

भोपाल :  
दिनांक : 9 दिसम्बर, 1996

अशोक चतुर्वेदी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा